न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **24/2018 अपील रसद**

श्री सोहनलाल पिता छगनलाल जैन, उचित मुल्य दुकान वैण, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सलुम्बर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर मुकदमा नम्बर 88/13 रसद तारीख फैसल 21.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विजयसिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—12.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट काफी वर्षो से उचित मुल्य के सामान का वितरण कर रहा हैं। उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अभी दो तीन लोग अपीलान्ट से फ्रि में सामान चाहते है तथा अपीलान्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया तो अपीलान्ट के विरूद्ध झूठी शिकायत की गई हैं। जबकि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.11.17 को 90 दिन के लिये निलम्बित कर दिया गया था। अपीलान्ट ने 1 किलो गेहूँ भी ब्लैक में नहीं बेचा हैं। ना ही कालाबाजारी की गई हैं। किसी कानुन का भी उल्लंघन नहीं किया गया

हैं। इसके उपरान्त भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त कर दिया गया। जिससे रूष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध गलत एफआईआर दर्ज करा दी गई। जिसकी जॉच करने पर शिकायत गलत पायी गई। इस कारण एफआईआर में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कर एफ आर पेश कर दी गई हैं। अपीलान्ट द्वारा कौनसे कानुन के किस प्रावधान का उल्लंघन किया गया है यह भी नहीं बताया गया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मर्जीमकसूद तरीके से लाईसेंस निरस्त करने का आदेश दिया जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.05.18 निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व सिक्यूरिटी बहाल करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट के नाम उचित मुल्य दुकान वैण तहसील सलुम्बर में स्थित होकर अपीलान्ट द्वारा काफी वर्षो से उचित मुल्य के दुकान का वितरण कर रहा हैं। उसके खिलाफ किसी प्रकार की कभी कोई शिकायत नहीं हुई। कतिपय दो तीन लोगो द्वारा फ्रि में सामान चाहने से मना कर देने से उनके द्वारा झूठी शिकायत कर देने से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.11.17 को 90 दिन के लिये निलम्बित कर दिया गया जबकि अपीलान्ट ने कभी भी किसी राशन सामग्री की कालाबाजारी नहीं की। खाद्य सुरक्षा योजना के गेहूॅ उपभोक्ताओ को सही समय पर वितरण किये जाते रहे हैं। किसी भी कानुन का उल्लंघन नहीं किया। इसके उपरान्त भी अपीलान्ट का लाईसेन्स निरस्त

कर दिया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध गलत एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। जिसमें भी पुलिस जॉच अधिकारी द्वारा एफआर पेश कर दी गई हैं। अपीलान्ट ने ना तो अपराध किया ना उसका अपराध करने का कोई उद्धेश्य ही था। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये है जो बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के हैं। ऐसे आदेश को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र व सिक्युरीटी बहाल करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर द्वारा नायब तहसीलदार सलुम्बर चार्ज प्रवर्तन निरीक्षक से जॉच करायी गई। जॉच में गत पॉच माह से गेहूॅ वितरण नहीं करने का तथ्य पाये जाने से दिनांक 22.11.17 को प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रकरण में पॉच माह तक गेहूॅ वितरण नहीं कर कालाबाजारी करने की गम्भीर अनियमितता को मद्येनजर रखते हुए नायब तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पुलिस थाना सलुम्बर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई। उचित मुल्य दुकानदार को भी अनियमितता के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूॅ का लाभार्थियो को वितरण नहीं कर अवैध लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से गेहूॅ का अन्यत्र वितरण कर दिया गया। दुकान का संचालन भी स्वयं द्वारा नहीं कर अपने पिता श्री छगनलाल जैन द्वारा करवाया जाता हैं। थानाधिकारी को प्रस्तुत एफआईआर में थानाधिकारी द्वारा भी अपने अनुसंधान में अपीलान्ट को 45 क्विंटल गेहूॅ का वितरण नहीं कर राशन वितरण में अनियमितता किये जाने का दोषी पाये जाने से उसके विरूद्ध जुर्म धारा 3/7 ईसी एक्ट सपठित धारा राजस्थान खाद्यान्न एवं

अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत चार्जशीट कता की जाकर चालान नम्बर 101/18 दिनांक 31.05.18 से दिनांक 02.08.18 को न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं। जिससे अपीलान्ट का दोष प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट साबित होता हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश उचित होने से अपील अपीलान्ट खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उपतहसीलदार सलुम्बर द्वारा सेन्टर की जॉच की गई। जॉच में 5 माह का गेहूॅ सेन्टर से लगे उपभोक्ताओ में वितरण नहीं किया जाना प्रथम दृष्ट्या पाये जाने से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए अपीलान्ट के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सलुम्बर में दर्ज करायी गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी अपीलान्ट को 45 क्विंटल गेहूॅ वितरण नहीं किये जाने का दोषी पाया गया। उक्त गेहूॅ स्टॉक में दर्शा रखे हैं। किन्तु भौतिक रूप से नहीं पाये गये। अपीलान्ट के विरूद्ध 3/7 ईसीएक्ट के तहत चालान पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.18 को चालान नम्बर 101/18 दिनांक 31.05.18 पेश किया गया हैं। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी द्वारा भी अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसमें भी अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूॅ का पात्र लाभार्थियो को वितरण नहीं करके कालाबाजारी करने एवं स्वयं दुकान का संचालन नहीं कर प्राधिकार अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरीत करने की गम्भीर अनियमितता पाये जाने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर